पत्र सं०-एम-4-07/2023........3151......./वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

तुषार सिंगला,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना-15, दिनांक-31-03-2023

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-2 के आलोक में सभी प्रशासी विभाग/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजना तथा गैर योजना मद के अन्तर्गत अपने विभाग से संबंधित सभी शीर्षों में चार-चार माह की अवधि के लिये अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिये निम्न प्रकार से राशि का आवंटन किया जाना है:-

(क) 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक बजट में प्रावधानित कुल राशि का 33%,

(ख) 01 अगस्त से 30 नवम्बर तक बजट में प्रावधानित कुल राशि का अतिरिक्त 32% अर्थात संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि का 65% तक,

(ग) 01 दिसम्बर से 31 मार्च तक बजट में प्रावधानित कुल राशि का अवशेष 35% अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि का शत-प्रतिशत तक।

समीक्षोपरांत वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिकोण से वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-2 में निहित चौमाही प्रतिशत बंधेज की शर्तों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्थापना प्रतिबद्ध व्यय एवं स्कीम (दोनो मदों) में निम्नवत शिथिल किया जाता है:-

क्रम सं0	मांग सं0/विपत्र कोड/इकाई	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	स्कीम
1	मांग सं0-39 (आपदा प्रबंधन विभाग)	100%	33% (चौमाही बंधेज)
2	मांग सं0-12 (वित्त विभाग), 13 (सूद भुगतान, 14 (ऋण अदायगियाँ) एवं 15 (पेंशन)	100%	33% (चौमाही बंधेज)
3	मांग सं0-05 (राज्यपाल सचिवालय)	100%	--
4	मांग सं0-28 (उच्च न्यायालय)	100%	--
5	मांग सं0-27 (विधि विभाग)	100%	--
6	मांग सं0-34 (बिहार लोक सेवा आयोग)	100%	

sec-4/118

क्र०सं०	मांग सं0/विपत्र कोड/इकाई	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	स्कीम
7	मांग सं0-32 (विधान मंडल)	100%	--
8	मांग सं0-33 (सामान्य प्रशासन विभाग) अन्तर्गत विपत्र कोड-33-2070-00-104-0012 विपत्र कोड-33-2251-00-092-0002	100%	--
9	मांग संख्या-16 (पंचायती राज विभाग) अन्तर्गत विपत्र कोड-16-2515-00-196-0003 विपत्र कोड-16-2515-00-197-0001 विपत्र कोड-16-2515-00-198-0001 विपत्र कोड-16-2515-00-196-0009 विपत्र कोड-16-2515-00-197-0006 विपत्र कोड-16-2515-00-198-0016 विपत्र कोड-16-2515-00-196-0008 विपत्र कोड-16-2515-00-197-0005 विपत्र कोड-16-2515-00-198-0015	100%	--
10	मांग संख्या-48 (नगर विकास एवं आवास विभाग) अन्तर्गत विपत्र कोड-48-2217-80-191-0010 विपत्र कोड-48-2217-80-192-0001 विपत्र कोड-48-2217-80-193-0001 विपत्र कोड-48-2217-80-191-0017 विपत्र कोड-48-2217-80-192-0011 विपत्र कोड-48-2217-80-192-0012 विपत्र कोड-48-2217-80-193-0009 विपत्र कोड-48-2217-80-192-0010	100%	--
11	सभी मांग के वेतन शीर्ष अन्तर्गत विषय शीर्ष-01-01 से 01-07 तक	100%	100%
12	सभी मांग अन्तर्गत विषय शीर्ष-28-02 (संविदा सेवायें)	100%	100%
13	सभी मांग अन्तर्गत विषय शीर्ष-06-01 (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) विषय शीर्ष-13-04 (विद्युत प्रभार) विषय शीर्ष-13-05 (विधि प्रभार) विषय शीर्ष-14-01 (किराया महसूल एवं कर) विषय शीर्ष-21-02 (दवा भंडार) विषय शीर्ष-21-03 (आहार/पथ्य) विषय शीर्ष-34-01 (छात्रवृति/वजीफा)	100%	100%
14	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) 02 से शुरू होने वाले उप शीर्ष	--	100%
15	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश) 03 से शुरू होने वाले उप शीर्ष	--	100%
16	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम 04 से शुरू होने वाले उप शीर्ष	--	100%
17	राज्य स्कीम 01 एवं 05 से शुरू होने वाले उपशीर्ष	--	33% (संसाधन प्राप्ति को देखते हुए माहवार 8.25% की दर से व्यय किया जाना है)

नोटः- जिन मांग संख्या/विपत्र कोड/विषय शीर्ष का ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, उसपर 33% का चौमाही बंधेज लागू होगा ।

विश्वासभाजन,

Tusar 31/03/23

(तुषार सिंगला)

संयुक्त सचिव ।

sec-4/119

ज्ञापांक-एम-4-07/2023...3151.........../**वि०, पटना-15, दिनांक**...31-03-2023...

प्रतिलिपिः-प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/03/23

संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-एम-4-07/2023...3151.........../**वि०, पटना-15, दिनांक**...31-03-2023...

प्रतिलिपिः-विकास आयुक्त, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, बिहार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/माननीय लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/03/23

संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-एम-4-07/2023...3151.........../**वि०, पटना-15, दिनांक**...31-03-2023...

प्रतिलिपिः-माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

31/03/23

संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-एम-4-07/2023...3151.........../**वि०, पटना-15, दिनांक**...31-03-2023...

प्रतिलिपिः-श्री संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव/श्री अजय कुमार ठाकुर, उप बजट नियत्रंक-सह-उप सचिव, प्रभारी CFMS/श्री प्रकाश चंद्र मिश्र, प्रभारी TCS, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/03/23

संयुक्त सचिव ।

sec-4/120